L. C. Bill No. I OF 2024.

A BILL

TO AMEND THE MAHARASHTRA PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2023.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक १ सन् २०२४।

महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२३ में संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् २०२४ का महा. ८।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२३, में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :–

संक्षिप्त नाम ।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०२४ कहलाए।

(शा.म.मु.) एच ३१०३–१ (१०५–२-२०२४)

सन् २०२४ का महा. ८ की धारा ६ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२३ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा ६ की, उप-धारा (२) में, निम्न परन्तुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :— सन् २०२४ का महा. ८।

"परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक पर अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय उस दिनांक पर, स्थापित किए गए हैं ऐसा समझा जायेगा।"।

सन् २०२४ का महा. ८ की अनुसूची में संशोधन।

३. मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची के भाग दो में, प्रविष्टि २ के पश्चात्, निम्न प्रविष्टि जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

"३.	संजीवनी विश्वविद्यालय, कोपरगांव मुख्यालय, संजीवनी विश्वविद्यालय, कोपरगांव, गट क्र. २४ और २५, कोपरगांव, तहसील कोपरगांव, जिला अहमदनगर ४२३ ६०१।	संजीवनी ग्रामिण शिक्षा संस्था, कोपरगांव, तहसील कोपरगांव, जिला अहमदनगर ४२३ ६०१।
४.	डॉ. डी. वाय. पाटील ज्ञानप्रसाद विश्वविद्यालय, पूणे, डॉ. डी. वाय. पाटील ज्ञानप्रसाद विश्वविद्यालय, पुणे, संत तुकाराम नगर, पिम्परी चिंचवड, सर्वेक्षण क्रमांक १८०/२/१ और १८०/२/२ तहसील हवेली, पूणे ४११ ०१८ पर मुख्यालय है तथा ताथवड़े, पूणे, सर्वेक्षण क्र. ८७/१, ८८, १३८/१क, १३८/१ख, १३८/२ख और ६२/४/३ पर भी स्थित है ।	डॉ. डी. वाय. पाटील युनिटेक संस्था, फ्लॅट क्र. १०१, श्री. मोतीसागर अपार्टमेंट, सर्वेक्षण क्रमांक ४७३ क, जी. जी. ठक्कर रोड, पूणे–४११ ००१"

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२३ (सन् २०२४ का महा.८) महाराष्ट्र राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए राज्य में स्व-वित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, निगमन और विनियमन करने के लिए उपबंध करता है ।

२. उक्त अधिनियम की धारा ६ यह उपबंध करती है कि, सरकार, धार ५ की, उप-धारा (४) के अधीन सत्यापन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपार्ट पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि, प्रायोजक निकाय ने, धारा ५ के उपबंधों का अनुपालन किया है तो राज्य विधानमंडल द्वारा विधि अधिनियमित करके अनुसूची के संशोधन द्वारा, अनुसूची के भाग दो में निजी विश्वविद्यालय और उनके प्रायोजक निकाय का नाम, स्थान और मुख्यालय के समावेशन द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए अनुमति दे सकेगी ।

३. सरकार, धारा ५ की उप-धारा (४) के अधीन सत्यापन समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए रिपार्ट पर विचार करने के पश्चात्, उसका यह समाधान हुआ है कि प्रायोजक निकाय संजीवनी, ग्रामीण शिक्षा संस्था कोपरगांव, तहसील कोपरगांव, जिला अहमदनगर ४२३६०१ और डॉ. डी. वाय. पाटील युनिटेक संस्था, फ्लॅट क्र. १०१, श्री. मोतीसागर अपार्टमेंट, सर्वेक्षण क्रमांक ४७३ क, जी. जी. ठक्कर रोड, पूणे ४११ ००१. के प्रायोजक निकाय ने क्रमशः "संजीवनी विश्वविद्यालय, कोपरगांव" और "डॉ. डी. वाय. पाटील ज्ञानप्रसाद विश्वविद्यालय, पुणे," के नाम द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए ५ धारा के उपबंधों का अनुपालन किया है ।

४. इसलिए, महाराष्ट्र सरकार, विधि अधिनियमित करके उक्त प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और संजीवनी विश्वविद्यालय, कोपरगांव और डॉ. डी. वाय. पाटील ज्ञानप्रसाद विश्वविद्यालय, पूणे, और उनके प्रायोजक निकायों के नाम, स्थान और मुख्यालयों का समावेशन करने की अनुमति देने के लिए, महाराष्ट्र निजी विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२३ से संलग्न अनुसूची के भाग दो में संशोधन करना इष्टकर समझती है ।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २७ फरवरी, २०२४।

चंद्रकांत (दादा) पाटील,
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षामंत्री ।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित २७ फरवरी, २०२४।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानपरिषद ।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई